अगस्त– 2024, वर्ष 33, अंक 61

उत्तर प्रदेश संदेश

आपदा से यदि हो जान-माल का नुकसान तो टोल फ्री नंबर 1070 पर पाएं समाधान

बाढ़ से निपटने हेतु निम्न बातों का रखें ध्यान

क्या करें

- खाना ढक कर रखें एवं हल्का भोजन करें
- बिजली के तार एवं ट्रांसफॉर्मर से दूर रहें
- विषैले जीव जैसे- सांप, बिच्छू आदि से सतर्क रहें
- आपातकालीन किट में एक छोटा रेडियो, टॉर्च, बैटरी, पानी, सूखा खाद्य पदार्थ, केरोसिन, मोमबत्ती, माचिस आदि पर्याप्त मात्रा में हमेशा अपने पास रखें
- बिजली का मुख्य स्विच, गैस रेग्युलेटर एवं शौचालय को बंद रखें
- पॉलीथिन या वाटरप्रूफ बैग हमेशा अपने साथ रखें, जिसमें कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक आदि हों
- अगर जगह खाली करना जरूरी हो तो सबसे पहले कपड़े, दवाइयां, कीमती वस्तुएं, निजी कागजात (पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र) आदि को वाटरप्रूफ बैग में रख लें और आपातकालीन बॉक्स को भी साथ रखें

क्या न करें

- बच्चों को बाढ़ के पानी के पास या पानी में न खेलने दें
- बिजली की वस्तुओं का इस्तेमाल न करें जब तक कि उसे जांचा न गया हो, हो सकता है उसमें बाढ़ के पानी से करंट उतर आया हो
- बाढ़ से प्रभावित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए
- अज्ञात गहराई/तेज प्रवाह वाले पानी को कभी भी पार करने की कोशिश न करें
- अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं
- बाढ़ के पानी से भरे कुएं, तालाब या अन्य जलस्रोतों का उपयोग न करें, यह दूषित हो सकता है

बाढ़ की स्थिति में काम आने वाली जरूरी चीजें

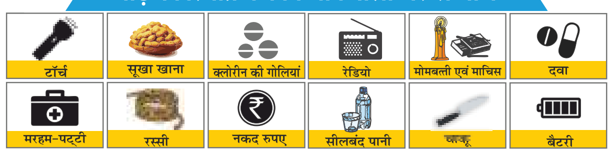

राहत राशि का विवरण

• मृत्यु होने पर	-	₹4 लाख (पोस्टमार्टम एवं पंचनामा अनिवार्य)
• शारीरिक दिव्यांग होने पर	-	₹74,000 से ₹2.5 लाख
• मकान की क्षति होने पर	-	₹4,000 से ₹1.2 लाख
• पशु की मृत्यु होने पर	-	₹4,000 से ₹37,500
• फसल की क्षति होने पर	-	₹8,500 से ₹22,500

जब 1070 हेल्पलाइन है साथ तो निराश होने की क्या है बात

राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश

टोल फ्री हेल्पलाइन : 1070

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

अगस्त-2024, वर्ष 33, अंक 61
उत्तर प्रदेश
संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
शिशिर
सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श :
अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक, सूचना

डॉ. मधु ताम्बे
उपनिदेशक सूचना

डॉ. जितेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक निदेशक, सूचना

प्रभारी सम्पादक :
दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक, सूचना

अतिथि सम्पादक :
कुमकुम शर्मा

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 9412674759, 7705800978

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित
भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

- लोकशिकायतें और उनका प्रभावी निपटारा : उत्तर प्रदेश सरकार... 3
  –डॉ. रविशंकर पांडेय
- जीवन में रोशनी करती-सौर ऊर्जा 11
  –डॉ. रंजना जायसवाल
- ईको टूरिज़्म में रोज़गार 15
  –केवल राम
- मुख्यमंत्री का आह्वान : एक पेड़ माँ के नाम 18
  –सुधा मिश्रा
- हमारी परम्परा है गो-संरक्षण 21
  –ए.के. अस्थाना
- सेमीकंडक्टर चिप का हब बनने की राह पर भारत 24
  –सुरेश कुमार मिश्रा
- टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि को सशक्त बनाने का पूरा होता संकल्प 30
  –अंजु अग्निहोत्री

सम्पादकीय

महात्मा गांधी के नेतृत्व में 5 अगस्त, सन् 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरूआत हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दीं। इसी अगस्त आन्दोलन को अगस्त क्रान्ति के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त को पूरे देश से लोग इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे। बापू ने इस दिन को ''करो या मरो'' का नारा दिया जिसका लोगों ने पुरज़ोर समर्थन किया। इसी दिन बापू को हिरासत में ले लिया गया था। यही वह आन्दोलन था जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया था और उसी का परिणाम था कि देश 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो सका था।

स्वतन्त्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि ''राज्य सरकार आज समाज के हर तबके के विकास का प्रयास कर रही है।'' प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि महिला, किसान, युवा और गरीब के ऑल राउण्ड डेवलपमेन्ट की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित है और वह पीएम द्वारा किए गये विकसित भारत के वादे को पूरा करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने यू.पी. में बेहतर कानून व्यवस्था की भी चर्चा की।

17 अगस्त को मुख्यमंत्री ने अम्बेडकरनगर में जिला स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेला के तहत 2,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र तथा विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को ऋण वितरित किया। पाँच हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टेबलेट भी दिये गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि, ''युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख़्शा नहीं जायेगा। अगर कोई ऐसा करने का दुस्साहस करेगा तो उसकी पूरी सम्पत्ति ज़ब्त करके गरीबों में बंटवा दी जायेगी। सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और उसके क्रियान्वयन का कार्य वह दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कर रही है।'' उत्तर प्रदेश में रक्षाबन्धन के अवसर पर बहन बेटियों के लिए 24 घंटे की फ्री बस सेवा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई।

वर्तमान सरकार में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देने के लिए सख़्त आदेश जारी किया गया। यह आदेश मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में सरकार ने विकास को सबसे अधिक महत्व दिया है और इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। विगत सात वर्षों से लगातार सरकार प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विकास, टूरिज्म, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, महिला सशक्तीकरण, रोजगार और जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही है।

सम्पादक

लोकशिकायतें और उनका प्रभावी निपटारा :
उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल

—डॉ. रविशंकर पांडेय

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संघीय और प्रांतीय सरकारें सीधे जनता द्वारा चुनी जाती हैं। बदले में ये सरकारें जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे सुशासन के द्वारा संतुष्ट बनाए रखने का पूरा प्रयास करती हैं। दिन प्रतिदिन के कार्य–व्यवहार में जनता द्वारा कुछ शिकायतें सरकार को प्रेषित की जाती हैं, जिनका यथोचित निस्तारण करना भी सुशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राप्त होने वाली ऐसी लोक शिकायतों का समयबद्ध तथा यथोचित निस्तारण सरकार की कार्यकुशलता का द्योतक है। केन्द्र सरकार के लोकशिकायत और प्रशासनिक सुधार विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष बड़े राज्यों की श्रेणी में प्राप्त लोकशिकायतों का निस्तारण उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि लोकशिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यकुशलता की परिचायक है। इस कार्यकुशलता को समझने के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा बनाई गई लोकशिकायतों के निस्तारण संबंधी ऑनलाइन व्यवस्था समधान पोर्टल (www-samadhan-gov-in) अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी ऑनलाइन और आफलाइन प्लेटफार्म में प्राप्त शिकायतों की संख्या व उनके निस्तारण के साथ विभाग, जिले और तहसील की रैंकिंग देखी जा सकती है। इस आलेख में उपर्युक्त समाधान पोर्टल की विशेषताएं बताते हुए इस प्रणाली को और सशक्त ,समावेशी , पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए परंपरागत उपायों के साथ नवीन लोकप्रबंधन (New Public Management) विधि से संबंधित कुछ नये सुधारात्मक विन्दु सुझाए गए हैं।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं। जनता द्वारा चुनी गईं ये लोकप्रिय सरकारें सत्ता में रहते हुए जनता को स्वच्छ प्रशासन और सुशासन देते हुए उन्हें संतुष्ट बनाए रखने का भरसक प्रयास करती हैं। सरकारों द्वारा जनता की दिन–प्रतिदिन की समस्याओं और शिकायतों को सुनकर उनका यथोचित निस्तारण करना भी सुशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकशिकायतों के सम्यक निस्तारण हेतु भारत सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों ने भी अपना अलग अलग प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर रखा है। कौन प्रशासनिक ढांचा इन शिकायतों के निस्तारण में कितना कारगर है इसका अंदाजा लगाने के लिए नियमित समीक्षाएं होती रहना आवश्यक है। प्रशासनिक सुधार और लोकशिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा लोकशिकायतों के निस्तारण से संबंधित अपनी 12वीं मासिक रिपोर्ट अगस्त '23 को जारी करते हुए बताया गया कि बड़े राज्यों की श्रेणी में जहां शिकायतें 20000 से कम आईं थीं, उनमें उत्तर प्रदेश राज्य इनके निस्तारण में सबसे आगे रहा। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार का यह विभाग पूरे देश में आनलाइन शिकायतें दर्ज़ कराने की सुविधा प्रदान करता है।यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में लगभग 25 करोड़ आबादी के साथ यह राज्य भारतीय गणराज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, जहां एक ओर 20000 से कम मासिक लोक शिकायतें मिलीं वहीं उनका निस्तारण भी अधिक हुआ है। दरअसल इसके पीछे उत्तर

प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए न केवल एक प्रभावी प्रणाली है बल्कि यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इसके प्रति निरंतर जागरूकता और उनकी अपनी व्यक्तिगत रुचि है । वे अपने राज्य में भी जन शिकायतों को प्राप्त करने हेतु कई आनलाइन प्लेटफार्म बना रखे हैं जिनमें जनसुनवाई समाधान प्रणाली,आई जी आर एस (Integrated Grievance Redressal System) और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हैं जहां लगातार शिकायतें दर्ज़ होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों के लिए जो आनलाइन माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज़ नहीं करा सकते, उनकी पुलिस व राजस्व प्रशासन संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए तहसील स्तर पर हर सप्ताह तहसील दिवस और पुलिस थाना स्तर पर थाना दिवस के आयोजन की व्यवस्था की गई है। यहां पर सक्षम स्थानीय अधिकारी उपस्थित रह कर प्राप्त शिकायतों का भौतिक सत्यापन और समयबद्ध निस्तारण करते हैं। यही नहीं स्वयं मुख्यमंत्री भी प्रति सप्ताह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अथवा अपने गृहनगर गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर आम जन की शिकायतों को आमने–सामने सुनकर उनका प्रभावी निस्तारण करते रहते हैं जिससे उनके जनता दरबार में सुबह से भारी भीड़ इकट्ठा होती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभिन्न माध्यमों और स्रोतों से प्राप्त हुई लोकशिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए न केवल एक प्रणाली विकसित की है बल्कि स्वयं अपने स्तर पर सूक्ष्म पर्यवेक्षण और गहन समीक्षा के द्वारा संबंधित सरकारी अधिकारियों के पेंच भी कसते रहते हैं। वे बार–बार अधिकारियों से कहते हैं कि लोकशिकायतों का निस्तारण महज कागज़ी न होकर गुणवत्तापूर्ण, संतुष्टि परक और निर्णयात्मक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की यह प्रभावी प्रणाली कोई एक दिन में विकसित नहीं हुई बल्कि इसके पीछे विगत पांच वर्षों में मुख्यमंत्री के सामने दिन–प्रतिदिन की आने वाली विभिन्न प्रकार की लोकशिकायतें, उनकी जटिलताएं और उनके निस्तारण में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का एक लंबा और व्यापक अनुभव है। आई जी आर एस और सी एम हेल्पलाइन को विशेष महत्व देते हुए इन शिकायतों के प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए एक इंडेक्स का भी निर्धारण किया गया है जिसमें जिलेवार और तहसीलवार मासिक रैंकिंग तैयार की जाती है। इस रैंकिंग के आधार पर अच्छा व खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार और दण्ड का विधान रखा गया है। प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और तहसील स्तरीय अधिकारियों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक माह अच्छा काम करने वाले शीर्ष दस और खराब काम करने वाले नीचे के दस जिलों एवं तहसीलों की सूची तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष हर महीने प्रस्तुत होती है। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए मुख्यमंत्री उन्हें सुधार करने हेतु एक महीने का समय देकर कड़ी हिदायत भी देते हैं। समुचित सुधार न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री ऐसे फिसड्डी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में संकोच नहीं करते।

समाधान पोर्टल—ऊपर बताए गए सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफार्म में प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में एकरूपता लाने, डुप्लीकेसी से बचने , विभागवार व जिलेवार शिकायतों का पूरा लेखा—जोखा रखने और उसके निस्तारण की अद्यावधिक स्थिति जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समाधान नाम से एक समग्र पोर्टल (www.samadhan.gov.in) बनाने का निर्णय है (शासनादेश दिनांक 17.02.2020)। इस समग्र समाधान पोर्टल की निम्न महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं —

(1) विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को एक ही पोर्टल/प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया गया है। जिससे विभाग के अधिकृत अधिकारी को सभी शिकायतों के अग्रसारण, प्रेषण और संकलन की सुविधा रहेगी।

(2) दर्ज़ शिकायतों में से प्रत्येक की 14 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता अपने आवेदन पत्र की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी ऑनलाइन विधि से प्राप्त कर सकते हैं।

(3) पोर्टल के डाटाबेस में प्रत्येक जिले के राजस्व गावों की ग्रामपंचायत, थाना, विकास खंड, नगरनिकाय,, तहसील, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से मैपिंग की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।इस व्यवस्था को अद्यतन व त्रुटि रहित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी और जिला सूचनाविज्ञान अधिकारी की होगी।

(4) प्रत्येक विभाग से संबंधित शिकायतों के विषयों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।यह वर्गीकरण विभागीय अधिकारियोंध्जिलाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर शासन द्वारा संबंधित प्रमुख सचिवों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

(5) आवेदन पत्रों के माध्यम से प्राप्त सुझावों और मांगों का विश्लेषण कर विभिन्न योजनाओं हेतु इनका उपयोग करने की सुविधा भी इस पोर्टल में उपलब्ध रहेगी।

(6) पोर्टल पर काम करने के लिए प्रत्येक विभाग/कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया किया जाएगा। पोर्टल पर अपने विभाग/कार्यालय के लंबित संदर्भों के समयबद्ध निस्तारण का दायित्व इसी नोडल अधिकारी का होगा।

(7) प्रदेश मुख्यालय पर विभागीय अधिकारियों को पोर्टल से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण देने का दायित्व मुख्यमंत्री कार्यालय के आई जी आर एस सेल का होगा। जिला मुख्यालय पर यह कार्य उस जिले के जिला सूचनाविज्ञान अधिकारी का होगा।

(8) शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता से निस्तारण की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक प्राप्त की जाए। पोर्टल में इस हेतु दो व्यवस्थाएं हैं। प्रथम,आवेदक स्वयं मोबाइल एप के द्वारा अपनी संतुष्टि/असंतुष्टि पोर्टल पर दर्ज़ कराए। दूसरा, शिकायतकर्ता से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया जाय।

(9) शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय से रैंडम आधार पर निस्तारित व अनिस्तारित संदर्भों का परीक्षण किया जाएगा। अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का परीक्षण इसी तरह विभागाध्यक्षों द्वारा भी किया जाएगा। गुणवत्ता विहीन निस्तारण की स्थिति में इसे पुनर्जीवित कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला स्तर पर भी अनुश्रवण हेतु स्पेशल क्लोज किए गए संदर्भों का एक गठित टास्क फोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। गुणवत्ता विहीन अथवा गलत निस्तारण की स्थिति में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(10) समाधान पोर्टल के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में तत्परता और गुणवत्ता के आधार पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों का मासिक मूल्यांकन

किया जाएगा तथा निर्धारित मानकों के सापेक्ष उन्हें अंक दिए जाएंगे। प्राप्त अंकों के आधार पर जिले और तहसील की रैंकिंग की जाएगी जो पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। इस रैंकिंग के आधार पर इंडेक्स में शीर्ष दस स्थान पाने वाले जिलों के अधिकारियों को यथोचित पुरस्कार/प्रशंसा तथा नीचे के दस जिलों से संबंधित अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अन्य संस्थाओं द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई – उपर्युक्त समग्र समाधान पोर्टल के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने नागरिकों की कुछ विशेष प्रकृति की समस्याओं और शिकायतों के निवारण हेतु स्वायत्तशासी संस्थाओं और संगठनों की भी स्थापना की गई है जो अर्धन्यायिक विधि से जनता की प्रप्त समस्याओं को पंजीकृत करके पक्ष और प्रतिपक्ष को नियमानुसार सुनकर उसका निपटारा करती हैं और और यथोचित कार्यवाहियों के लिए राज्य सरकार को अपनी अनुसंशा भेजती है। इन संस्थाओं/संगठनों में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और मनरेगा लोकपाल आदि प्रमुख हैं जिनके समक्ष लोकसेवकों के विरुद्ध भी शिकायत प्रस्तुत की जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभिन्न माध्यमों और स्रोतों से प्राप्त हुई लोकशिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए न केवल एक प्रणाली विकसित की है बल्कि स्वयं अपने स्तर पर सूक्ष्म पर्यवेक्षण और गहन समीक्षा के द्वारा संबंधित सरकारी अधिकारियों के पेंच भी कसते रहते हैं। वे बार-बार अधिकारियों से कहते हैं कि लोकशिकायतों का निस्तारण महज कागज़ी न होकर गुणवत्तापूर्ण, संतुष्टि परक और निर्णयात्मक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की यह प्रभावी प्रणाली कोई एक दिन में विकसित नहीं हुई बल्कि इसके पीछे विगत पांच वर्षों में मुख्यमंत्री के सामने दिन-प्रतिदिन की आने वाली विभिन्न प्रकार की लोकशिकायतें, उनकी जटिलताएं और उनके निस्तारण में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का एक लंबा और व्यापक अनुभव है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जन शिकायतों के निस्तारण के लिए पूर्व से कुछ संस्थागत ढांचा विद्यमान था जिसे वर्तमान सरकार ने तकनीकी रूप से मजबूत बनाकर इसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन और विस्तार किया है जिससे समस्याओं और शिकायतों की उत्पत्ति में न केवल कमी आई है बल्कि प्राप्त शिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यकुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई देती है। यही कारण है कि प्रशासनिक सुधार और लोकशिकायत विभाग भारत सरकार के पोर्टल पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से संख्या में अपेक्षाकृत कम शिकायतें प्राप्त हुई बल्कि प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में भी यह राज्य अव्वल रहा है।

सुधार हेतु कुछ परंपरागत सुझाव –

यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनशिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के लिए समाधान पोर्टल तैयार कर उसे संस्थागत ढांचा प्रदान करने का सराहनीय कार्य किया है। किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने, उनकी दिन-प्रतिदिन की छोटी बड़ी समस्याओं के निवारण के लिए किसी भी प्रणाली में सुधार की गुंजाइश निरंतर बनी रहती है। भारत के उत्तर प्रदेश जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में शासन और प्रशासन के माध्यम से लोकप्रिय सरकार के प्रति जनता जनार्दन की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के लिए जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के साथ उनके सामाजिक सशक्तीकरण पर बल दिया जाए जिससे वे अपनी समस्याओं के निवारण में स्वयंमेव सक्षम हो सकें। सकारात्मक सुझाव के कुछ महत्वपूर्ण विन्दु निम्न हैं।

1. **न्याय पंचायतों का पुनर्जीवीकरण**–ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी से जीविकोपार्जन करने वाले निवासियों

की संख्या अधिक है, जहां ज़मीन जायदाद से संबंधित विवाद अधिक पैदा होते रहते हैं। खेत–खलिहान, मकान, रास्ता और फसल आदि को लेकर गांव के लोग प्रायः आपसी विवाद में उलझते रहते हैं। यही विवाद कभी कभी दो पक्षों के बीच शांति और विधि व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। ऐसे विवादों के समय से हल न हो पाने की स्थिति में पक्षकार कोर्ट–कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं और मुकदमेबाजी में सालों तक पिसते रहते हैं। आम आदमी के साथ देश और समाज के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि इन विवादों का निपटारा गांव में ही स्थानीय स्तर पर होजाए तो क्या कहने। इसके लिए गांव के स्तर पर गांव पंचायत की तरह न्याय पंचायत समिति की व्यवस्था पहले से पंचायतराज अधिनियम में विद्यमान है। पंचायत का अर्थ है पांच लोगों की समिति। भारतीय लोकमानस में प्राचीन काल से यह धारणा है कि पांच लोग मिलकर किसी विषय या विवाद पर अपना निर्णय देते हैं तो वह ईश्वर प्रदत्त निर्णय माना जाता है । इसीलिए पंचों को पंच परमेश्वर की संज्ञा दी गई है।एक प्रचलित कहावत के अनुसार पंचों के साथ मरना भी बारात जाने जैसा होता है –

पंचों शामिल मर गया जैसे गया बारात।

आज़ादी के बाद जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई तो प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 बना और इसी के आधार पर ग्राम सभाओं के साथ न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया था।ये न्याय पंचायतें प्रदेश में 1990 तक ठीक ठाक ढंग से काम करते हुए गांव के छोटे छोटे विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर करती रहीं। इनकी वजह से गांव का भाईचारा, गांव का धन, गांव का समय और श्रम बचता रहा और गांवों में मुकदमेबाजी को बहुत हीन भावना से देखा जाता था। पता नहीं क्यों वर्ष 1990–91 में अचानक यह व्यवस्था समाप्त हो गई। कुछ प्रशासनिक और विधिक परिवर्तनों के साथ इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। न्याय पंचायतों में महिलाओं और दुर्बल वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाते हुए इनके अधिकारों में किंचित वृद्धि करते हुए न्याय पंचायतों को आज की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल कर इनका पुनर्गठन करना उचित लगता है। इससे आम आदमी व ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होगा और शिकायतों का निस्तारण उनकी उत्पत्ति स्थल पर ही हो जाएगा।

2. **स्वायत्तशासी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण**– ऊपर बताई गईं कुछ स्वायत्तशासी संस्थाएं अपने यहां प्राप्त और पंजीकृत शिकायतों को अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर उनका निपटारा करती हैं, इनमें राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त संगठन, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राज्य महिला आयोग आदि प्रमुख हैं। इन आयोगों और संस्थाओं में लोकप्रिय सरकार द्वारा अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों की नियुक्ति मनोनयन के आधार पर की जाती है। देखने में यह आया है कि कभी–कभी प्रशासनिक और राजनैतिक कारणों से इन संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद महीनों व कभी–कभी सालों तक खाली रहते हैं जिससे प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अवरोध उत्पन्न होता है। दूसरी ओर इन

संस्थाओं में प्रशिक्षित मानव संसाधन व फंड के अभाव में वे पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं। आवश्यकता इ,,स बात की है कि इन संस्थाओं की जरूरतों के अनुसार इनके सुदृढ़ीकरण हेतु पर्याप्त आर्थिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यों के मनोनयन के लिए संवैधानिक प्रावधान किए जाएं।इन संस्थाओं के लगातार अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय रहते हुए लोकशिकायतों का निस्तारण अच्छे ढंग से हो सकता है। राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाओं को चाहिए कि वे आम जन तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मंडल स्तर पर जाकर विभागीय समस्याओं को सुनकर उनका समयबद्ध निस्तारण करें। सरकार को भी चाहिए कि वह लोकायुक्त संगठन, मानवाधिकार आयोग, सतर्कता आयोग तथा अन्य आयोगों के प्रतिवेदनों पर यथासमय निर्णय लेकर त्वरित कार्रवाई करें।

3. **अधिकारों और अधिकार क्षेत्र का प्रतिनिधायन–** प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः भूमि विवाद को लेकर अधिक शिकायतें अधिकारियों के पास आती थीं। किन्तु नवीन राजस्व संहिता के प्रभावी होने के बाद राजस्व न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कार्य विभजान के बाद जहां राजस्व वादों के निस्तारण में तेज़ी आई है वहीं शिकायतों के स्थलीय निरीक्षण व जांचों के लिए अब प्रशासनिक अधिकारियों के पास समय न मिलने का बहाना भी समाप्त हो गया है। किन्तु दूसरी ओर सिविल अदालतों में अब भी पुराने व लंबित मुकदमों का अंबार बताया जाता है। उचित होगा कि छोटे छोटे विशेष अधिनियमों से संबंधित मुकदमें जिनमें सज़ा कुछ आर्थिक दण्ड तक सीमित है,उनको या तो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त करने का सरकार निर्णय ले अथवा पूर्व व्यवस्था की भांति पुलिस ऐक्ट, गैंबलिंग ऐक्ट जैसे लंबित मुकदमों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय ले सकती है।इस तरह के छोटे–छोटे मुकदमों के समय से निस्तारित होने पर जहां विवादों में कमी आएगी वहीं शांति और कानून व्यवस्था भी नियंत्रित रहेगी।

4. **गंभीर शिकायतों का गहन अनुश्रवण–** अखबारों में आए दिन यह खबर पढ़ने को मिलती रहती है कि अमुक आदमी या महिला ने किसी समस्या से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय अथवा विधानसभा के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहसिक निर्णय प्रायः तब लेता है जब वह सभी तरह की कोशिशें करके निराश और हताश हो चुका होता है। ऐसी घटनाएं शासन और प्रशासन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे कहीं गंभीर किस्म की प्रशासनिक लापरवाही अथवा जटिलता छिपी होती है। ऐसी घटनाओं को साधारण ढंग से लेने के बजाय इनकी जांच किसी उच्च अधिकारी या विशेष कार्यबल से कराना उचित होगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह अधिकारियों या दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। इस जांच में यदि आत्मदाह की कोशिश करने वाला व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी आत्महत्या का मुकदमा दर्ज़ किया जाय जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि प्रशासनिक स्तर पर शुरुआती जांच में कहीं न कहीं पुलिस व प्रशासन से चूक अवश्य हुई है, इसका कारण जल्दबाज़ी अथवा पक्षपातपूर्ण रवैया हो सकता है।

5. **शोध व आंकड़ा प्रकोष्ठ की स्थापना–** किसी भी लोकतांत्रिक व लोकप्रिय सरकार का यह मूल दायित्व है कि वह लोकशिकायतों को प्राप्त कर समयबद्ध ढंग से उनका निस्तारण करे। इस प्रक्रिया में निरंतर सुधार और सकारात्मक परिवर्तनों से इसे और भी चुस्त–दुरुस्त बनाया जा सकता है। सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रकृति और उसके रुझान का अध्ययन

व शोध कुशल शोधकर्ताओं द्वारा आवश्यक है। शोध कार्य और अध्ययन के लिए इन प्राप्त शिकायतों का क्षेत्रवार व विभागवार आंकड़े एकत्र करना भी जरूरी है, इनका विश्लेषण कर तभी कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव हो सकता है। इसीलिए किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसके लिए एक डाटाबैंक और शोध प्रकोष्ठ स्थापित करना जरूरी प्रतीत होता है।

नवीन लोकप्रबंधन (New Public Management) विधि से सुधार –

वर्तमान में नवीन लोक प्रबंधन (New Public Management) नामक एक नई अवधारणा लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें सरकार और आम आदमी के बीच शासक व शासित का संबंध न होकर सेवा प्रदाता और ग्राहक का संबंध होता है।प्रबंधन की इस शाखा का प्रारंभ सन् में डेविड आस्बोर्न और रेड गीब्लर (1992) की प्रकाशित एक पुस्तक 'Government : A Reinvention (सरकार : एक पुनराविष्कार)' के माध्यम से हुआ माना जाता है। बाद के वर्षों में Politt (1995)ने इस विधा को 'Managerialism' नाम दिया तो Lan and Rosenbloom (1992)ने इसे 'बाज़ार आधारित प्रशासन' कहा। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो यह सार्वजनिक प्रबंधन और निजी व्यवसायिक प्रबंधन के बीच की एक नयी प्रणाली है। प्रबंधन की यह प्रणाली वास्तव में पुरानी परंपरागत अवधारणा से हटकर आम आदमी को एक ग्राहक मानते हुए सेवा प्रदाता के रूप में सरकार द्वारा उसे पूरी तरह से संतुष्ट रखने का उपक्रम है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज की उदारवादी नीतियों के आलोक में व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रबंधन की नई प्रणाली ही नवीन लोक प्रबंधन हैं। नवीन लोकप्रबंधन के मुख्य आधार हैं ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण, प्रदर्शन का मापन, शक्तियों और अधिकारों का विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व का निर्धारण, अनुभवी एजेंसी व कुशल कार्मिकों की आउटसोर्सिंग, नवाचार, प्रोत्साहन व दण्ड की व्यवस्था, शिकायत कर्ताओं का फीडबैक आदि।

सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ लोकप्रिय सरकारें जनता को सुशासन प्रदान करने और लोकशिकायतों के समयबद्ध व प्रभावी निस्तारण हेतु इस नवीन लोकप्रबंधन (New Public Management) का उपयोग करती हैं। सरकार द्वारा लोकशिकायतों के निस्तारण में कितनी कारगर है,इसका अध्ययन कुछ प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, Brewer (2007), Ghosh (2021).

नवीन लोकप्रबंधन प्रणाली के उपर्युक्त आधारों को अपनाने से निम्न तरीकों से सार्वजनिक शिकायतों के निवारण में सुधार किया जा सकता है :

1. **ग्राहक–केंद्रित दृष्टिकोण–** यह विधा ग्राहक–केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसका अर्थ है कि सरकारी एजेंसियां नागरिकों को ग्राहक मानते हुए उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इससे अधिक संवेदनशील और कुशल शिकायत निवारण तंत्र बन सकते हैं।
2. **प्रदर्शन माप–** यह विधा प्रदर्शन संकेतक और बेंचमार्क के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। सरकारी एजेंसियां अपनी शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाओं

की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यक सुधार करने के लिए इन मेट्रिक्स व इंडेक्सिंग का उपयोग कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हेतु एक प्रदर्शन सूचकांक (Performance index) का निर्माण किया है जो संबंधित अधिकारियों के साथ वहां के सभी जिलों और तहसीलों की प्रदर्शन आधारित रैंकिंग करता है।

3. **विकेंद्रीकरण–** प्रबंधन की इस नवीन विधा में अक्सर निर्णय लेने और सेवा वितरण के अधिकारों को ऊपर से नीचे के अधिकारियों तक विकेंद्रीकृत करना होता है। यह स्थानीय अधिकारियों को शिकायतों को अधिक तेजी से और उनके समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप समस्याओं को हल करने के लिए सशक्त बना सकता है।

4. **जवाबदेही–** नवीन लोकप्रबंधन जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर देता है। शिकायतों से निपटने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं को लागू करने और प्रक्रिया के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने से सभी वर्गों के नागरिक सिस्टम में विश्वास रख सकते हैं।

5. **आउटसोर्सिंग–** इस प्रणाली में कभी–कभी कुछ सरकारी कार्यों को निजी या गैर–लाभकारी संगठनों को आउटसोर्स करना शामिल होता है। इससे विशिष्ट और कुशल शिकायत प्रबंधन सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं।

6. **नवाचार–** नवीन लोकप्रबंधन सेवा वितरण में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। सरकारी एजेंसियां शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए नई तकनीकों और दृष्टिकोणों का पता लगा सकती हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप।

7. **प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन–** यह प्रबंधन सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है। यह उन्हें शिकायतों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके माध्यम से अक्षम और लापरवाह कर्मियों को चिन्हित कर हटाया भी जा सकता है।

8. **शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया–** शिकायतकर्ताओं से नियमित रूप से प्रतिक्रिया मांगना और उनके इनपुट के आधार पर समायोजन करना इस प्रणाली का एक मुख्य पहलू है। इससे समय के साथ शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

9. **नागरिक चार्टर का निर्माण–** सेवा प्रदान सभी सरकारी विभागों द्वारा स्पष्ट रूप से नागरिकों के अधिकारों, प्राप्त होने वाली सुविधाओं, देय सेवाओं आदि के बारे में सिटीजन चार्टर बनाकर आम जनता को जागरूक किया जाए। कुछ विभागों में यह बन भी गया है किंतु सरकारी अधिकारियों की इच्छा शक्ति के अभाव में यह ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया है।इसे कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है।

10. **सेवा गारंटी अधिनियम–** उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में आम जनता को समयबद्ध ढंग से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011बनाते हुए इसे कड़ाई से पालन का शासनादेश जारी किया है। इस अधिनियम के तहत अधिकारियों को निश्चित समयावधि के अंदर जनता की मांग पर सेवाएं प्रदान करनी होंगी। यदि तय समय–सीमा के अंदर सेवाएं देने में कोई अधिकारी विफल रहता है तो उसे आवेदक को निर्धारित मुआवजा देना पड़ेगा। यदि इस अधिनियम को पूरी ईमानदारी के साथ अधिकारियों द्वारा लागू किया जाए तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और शिकायतों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने में नवीन लोकप्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता विशिष्ट संदर्भ और कार्यान्वयन के आधार पर भिन्न हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए इस प्रणाली के सफल अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना का निर्माण, हितधारक जुड़ाव और निगरानी आवश्यक है। ◆

मो. : 8004867521

जीवन में रोशनी करती-सौर ऊर्जा

–डॉ. रंजना जायसवाल

संसाधन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिन्हें हमें प्रकृति ने दिल खोलकर प्रदान किया है। दूसरे नंबर पर मानव संसाधन आते हैं मानव संसाधनों का अर्थ मानव शक्ति के उपयोग से है। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसके देश के रहने वाले लोग होते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल योग्य, शिक्षित, कार्यकुशल और तकनीकी रूप से निपुण और समृद्ध लोग इस संसाधन में शामिल हो सकते हैं। ईश्वर ने हमें झोली भर–भर कर प्राकृतिक चीज उपलब्ध कराई है पर उन प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग कैसे किया जाए यह भी जरूरी है।ऐसे लोग जो प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग करना जानते हैं और उसे कैसे प्रयोग किया जाए यह बता सकते हैं मानव संसाधन में शामिल है। मानव संसाधनों के बिना किसी देश के प्राकृतिक संसाधन का महत्व बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे स्थान पर मानव निर्मित संसाधन का नाम आता है जिसका निर्माण मानव ने पर्यावरण के भौतिक पदार्थ का उपयोग करने के लिए किया है जैसे मशीन, मकान, उपकरण इत्यादि।

> **प्राकृतिक संसाधन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसमें सूरज, जंगल, पहाड़, खनिज पदार्थ, जानवर, हवा, पानी, मिट्टी और पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की तरफ से मनुष्य को उपहार के रूप में प्राप्त हैं। यह दो रूप में पाए जाते हैं। कभी भी खत्म न होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, सौर ऊर्जा, हवा आदि और दूसरे नंबर पर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म, ईंधन, कोयला, खनिज इत्यादि।**

प्राकृतिक संसाधन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसमें सूरज, जंगल, पहाड़, खनिज

पदार्थ, जानवर, हवा, पानी, मिट्टी और पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की तरफ से मनुष्य को उपहार के रूप में प्राप्त हैं। यह दो रूप में पाए जाते हैं। कभी भी खत्म न होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, सौर ऊर्जा, हवा आदि और दूसरे नंबर पर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म, ईंधन, कोयला, खनिज इत्यादि।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन सौर ऊर्जा है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। जिसका व्यास लगभग 13 लाख 90 हज़ार किलोमीटर है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूरज अपने केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करता है जो प्राकृतिक संसाधन का एक रूप है और उस ऊर्जा को मानव द्वारा बिजली के रूप में प्रयोग किया जाना मानव संसाधन का रूप है।सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एक विशाल भंडार के रूप में हमारे सौरमंडल में उपस्थित है।हमारे वैज्ञानिकों ने सूर्य की इस शक्ति को पहचाना और उसका आम जीवन में उपयोग करने पर विचार किया।

यहाँ पर यह बात ध्यान देने के योग्य है सूर्य अपने अत्यधिक तापमान और विकिरण के कारण जीवन को आश्रय तो नहीं दे सकता लेकिन यह बात भी सत्य है कि पृथ्वी पर जीवन केवल सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के कारण ही संभव है। सौर ऊर्जा को सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात प्रकाश, ऊष्मा और पराबैंगनी किरणों के रूप में प्राप्त होती है।सौर पैनल या कलेक्टर लगाकर इस ऊर्जा का उपयोग तापीय ऊर्जा (फोटो थर्मल) को पकड़ने या बिजली (फोटोवोल्टिक) उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

प्रकाश जीवन की बुनियादी जरूरत में शामिल है। आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रकाश की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनका जीवन घोर अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्नति के सारे मार्ग बंद दिखाई देते हैं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़कर लोगों की इस बुनियादी जरूरत को घर–घर तक पहुँचाने का प्रयास किया है।

समय के साथ अगर आप कदम के साथ कदम नहीं मिल पाए तो उन्नति के सारे द्वारा धीरे–धीरे बंद होते चले जाते हैं। केंद्र सरकार ने लोगों की जरूरत को समझा और इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। आज के समय में पूरी दुनिया में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी की मांग बढ़ती जा रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। खासकर के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की है तब से लोगों के बीच सोलर सिस्टम के प्रति रुझान बढ़ गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। आज कई

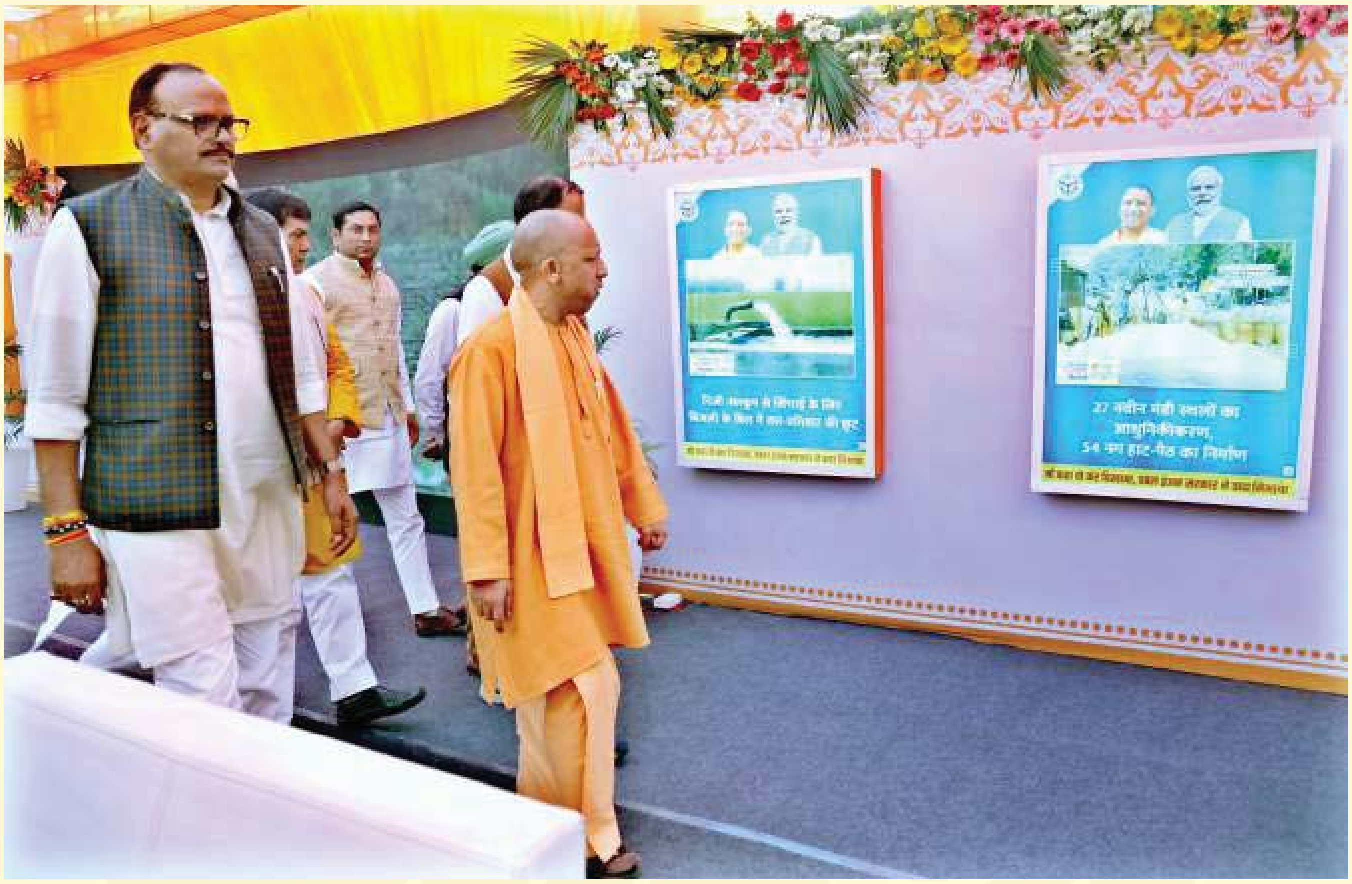

लोग अपने घर में सोलर सिस्टम लगाकर खुद को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जिससे उन्नति के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। लेकिन समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। सोलर पैनल बिजली प्राप्त करने का एक महंगा पर्याय है उसके लिए एक मुश्त पैसे एकत्र कर पाना भी आसान नहीं है।

हमारी सरकार ने उसका भी हल ढूंढ निकाला है वह वैसे भी हमेशा से आम जन की समस्याओं को हल करने और उन्हें एक बेहतर जीवन देने में विश्वास रखती है।उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सोलर एनर्जी की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज्यादा है इसलिए यह स्वाभाविक भी है। यदि आप अपने घर में 1 किलो वाट का रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको इस पर लगभग 14.5 हजार से लेकर ₹15000 तक की छूट मिलेगी। एक किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगाने के लिए लगभग 54 से 80 हजार रुपए तक खर्च आता है। यदि आप 1 किलो वाट से अधिक क्षमता का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपके प्रति किलो वाट 7294 की दर से सब्सिडी मिलती है। यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने घर में विद्युत ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए कम से कम 3 किलोवाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करता है तो ऐसी स्थिति में उसे उसके सोलर पैनल के पूरे खर्च का 40 प्रतिशत सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की यह वाकई एक अनूठी पहल है और तारीफ के योग्य हैं उनका उठाया हुआ यह कदम घर–घर में प्रकाश लाने का कार्य करेगा।

इस संदर्भ में एक बात बड़ी ही रोचक है अगर आप सोलर पैनल लगाने की इच्छुक हैं तो सोलर लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। आपको लोन प्रोवाइडर कंपनी, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कुल खर्च का 20 से 30 प्रतिशत तक डाउन पेमेंट करके लोन आसानी से अप्रूव करा सकते हैं।आपको सोलर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रूफ और

जरूरी कागजातों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास जरूरी दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट के पासबुक की फोटो की जरूरत होगी।

इन जानकारियों की सहायता से आप 5 साल तक के लिए लोन का अप्रूवल ले सकते हैं। वहीं सरकार द्वारा सोलर सब्सिडी स्कीम को साल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है यदि इस संदर्भ में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप https://www.loomsolar.com/ पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दुविधाओं का हल प्राप्त कर सकते हैं सूर्य ने हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश किया है पर सोलर पैनल ने अंधेरे में पड़े उन घरों में भी ऊर्जा का संचार किया है जो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे।

सूर्य की किरणों से हासिल की गई ऊर्जा को सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा कहते हैं। हमारी सरकार का यह कहना है की आधुनिक युग में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है जिसे हम तकनीकी सहायता से इसका उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं। यह हमारे लिए काफी मददगार साबित होगा क्योंकि सौर ऊर्जा असीमित है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है बस हमें उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। ◆

सूर्य ने हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश किया है पर सोलर पैनल ने अंधेरे में पड़े उन घरों में भी ऊर्जा का संचार किया है जो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे। सूर्य की किरणों से हासिल की गई ऊर्जा को सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा कहते हैं। हमारी सरकार का यह कहना है कि आधुनिक युग में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है जिसे हम तकनीकी सहायता से इसका उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं। यह हमारे लिए काफी मददगार साबित होगा क्योंकि सौर ऊर्जा असीमित है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है बस हमें उसका सही उपयोग करना आना चाहिए।

मो. : 9415479796

ईको टूरिज़्म में रोज़गार

—केवल राम

प्राचीन काल से ऋषि मुनि वनों में निवास करके लोक कल्याण की कामना करते थे। इन ऋषि मुनियों की रचनायें हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। वनों में रहते हुए सहअस्तित्व की भावना से विश्व बन्धुत्व के साथ ही सभी प्राणियों के कल्याण के बारे में चिंतन करते थे। कालान्तर में मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जल, जंगल एवं जमीन का अंधाधुंध दोहन शुरू हुआ। इसके अलावा शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा जनसंख्या में लगातार बढ़ोत्तरी से प्राकृतिक धरोहरों पर संकट के बादल मडराने लगे। वन हमारे अस्तित्व के लिए निर्णायक तत्व हैं। इससे सीधे पर्यावरण जुड़ा हुआ है।

पर्यावरण की क्षति से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरणविद् इस पर लगातार शोधकर पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। समय रहते यदि जल, ज़मीन और जंगल को संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ईको टूरिज्म के माध्यम से प्रकृति संरक्षण तथा स्थाई निवासियों को आमदनी का ज़रिया बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। 1980 के दशक से पर्यावरणविदों द्वारा ईको–टूरिज्म को एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में माना जाता है। इसके तहत आने वाली पीढ़ियां मानवीय हस्तक्षेप से अपेक्षाकृत अछूते गन्तव्यों का अनुभव कर सके। इसके लिए प्रयास करना है।

ईको–टूरिज्म की बात करें तो यह पर्यटन उद्योग के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है, जिसमें परिस्थितकी तंत्र को क्षति पहुंचाये बिना प्राकृतिक स्थानों की यात्रा करना और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ और विकास के अवसर सृजित करना है। ईको–टूरिज्म पर्यटन का ही एक रूप है, जिसे ज़िम्मेदार यात्रा के रूप में विपणन किया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यावरण को संरक्षित करने और स्थानीय लोगों की जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए पर्यटकों को शिक्षित करने तथा स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के माध्यम से सीधे लाभ पहुंचाना है। साथ ही विभिन्न सांस्कृतियों और मानवाधिकार के प्रति बढ़ावा देना है।

उ.प्र. देश का हृदय स्थल तथा मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का उद्‌गम स्थल रहा है। यहां पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनायें हैं। गत वर्ष प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटक आये। यह प्रदेश की आबादी से लगभग दोगुनी संख्या है। वर्ष 2023 में काशी में 10 करोड़ से अधिक, मथुरा–वृन्दावन में 7.5 करोड़ से अधिक तथा अयोध्या में 05 करोड़ से अधिक पर्यटक

आये। प्रदेश सरकार आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही हेरिटेज टूरिज्म के विकास का कार्य कर रही है। आबादी की दृष्टि से उ.प्र. देश का सबसे विशाल राज्य है। पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनायें हैं। इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उ.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। उ.प्र. में धार्मिक पर्यटन लगातार बढ़ रहा है।

सौन्दर्य का लाभ उठाने आ रहे हैं। पर्यटकों को प्रकृति को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम प्रकृति के जितना करीब जायेंगे, उसे संरक्षण देंगे, उतना ही स्वच्छ व सुंदर वातावरण हमें प्राप्त होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज टूरिज्म का यदि विकास किया जाए तो गांव में भी लोगों के लिए नई संभावनायें बनेंगी।

बताते चलें कि एक टूरिस्ट 06 लोगों के लिए रोज़गार का अवसर प्रदान करता है। प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हमें अपनी संभावनाओं से लाभ उठाना चाहिए। प्रदेश में ईको टूरिज्म के क्षेत्र में विभिन्न कार्य शुरू कराये गये हैं। दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा सोहागी बरवा में अनेक कार्य कराये गये हैं। लोग यहां प्राकृतिक

उ.प्र. देश का हृदय स्थल तथा मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का उद्गम स्थल रहा है। यहां पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनायें हैं। गत वर्ष प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटक आये। यह प्रदेश की आबादी से लगभग दोगुनी संख्या है। वर्ष 2023 में काशी में 10 करोड़ से अधिक, मथुरा–वृन्दावन में 7.5 करोड़ से अधिक तथा अयोध्या में 05 करोड़ से अधिक पर्यटक आये। प्रदेश सरकार आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही हेरिटेज टूरिज्म के विकास का कार्य कर रही है। आबादी की दृष्टि से उ0प्र0 देश का सबसे विशाल राज्य है। पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनायें हैं। इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उ.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। उ.प्र. में धार्मिक पर्यटन लगातार बढ़ रहा है।

ग्रामीण भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। रोज़गार सृजन की नई संभावनायें बनेगी। बांदा में कालिंजर तथा जनपद जालौन और बस्ती में ऐसे कार्य शुरू किये गये हैं। इसी तरह पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, चित्रकूट तथा चन्दौली सहित उन सभी जनपदों में विकसित हो सकती हैं। यहां पहले से ही इसके लिए ईको

सिस्टम मौजूद है। सरकार अपने स्तर से सुविधायें और कनेक्टिविटी दे सकती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

प्रदेश में ईको पर्यटन हेतु अनेक प्रकार के ईको सिस्टम हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित तराई क्षेत्र में शाल एवं सागौन के घने जंगल, प्रदेश के मध्य भाग में विभिन्न प्रवासी, पक्षियों के आश्रय स्थल, पक्षी बिहार, पहाड़ियों एवं बांध के जलाशयों से समृद्ध बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण के केन्द्र है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में इस क्षेत्र के ईको पर्यटन क्षेत्रों की अहम भूमिका होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत है। जनपद ललितपुर में स्थित देवगढ़ क्षेत्र ईको पर्यटन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने का उद्देश्य प्रदेश की वनसंपदा को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना है। इस क्षेत्र में उ.प्र. सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

प्रदेश में ईको पर्यटन हेतु अनेक प्रकार के ईको सिस्टम हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित तराई क्षेत्र में शाल एवं सागौन के घने जंगल, प्रदेश के मध्य भाग में विभिन्न प्रवासी, पक्षियों के आश्रय स्थल, पक्षी बिहार, पहाड़ियों एवं बांध के जलाशयों से समृद्ध बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण के केन्द्र है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में इस क्षेत्र के ईको पर्यटन क्षेत्रों की अहम भूमिका होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत है। जनपद ललितपुर में स्थित देवगढ़ क्षेत्र ईको पर्यटन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने का उद्देश्य प्रदेश की वनसंपदा को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना है। इस क्षेत्र में उ.प्र. सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

उ.प्र. के तराई क्षेत्र में बिजनौर का अमानगढ़, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व जैसे स्थलों पर पर्यटक बाघ, हाथी और गैंडे आदि देख सकते हैं। मध्य उ.प्र. की नदियों के किनारे गंगा डाल्फिन, घड़ियाल और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। ईको टूरिज्म के तहत पर्यटकों के भी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उ.प्र. के पास एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव अभ्यारण और 24 पक्षी विहार हैं जो लुप्तप्राय जैव विविधता की रक्षा के लिए समर्पित हैं। इस तरह से देखा जाए तो ईको टूरिज्म का भविष्य सुनहरा है। इसमें प्रकृति संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार तथा आमदनी की असीमित संभावनायें हैं। ◆

मो. : 9415080727

मुख्यमंत्री का आह्वान : एक पेड़ माँ के नाम

–सुधा मिश्रा

इस धरती पर जितना अधिकार मनुष्यों का है उतना ही अधिकार सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का भी है। पर्यावरण के संतुलन में सभी की उपस्थिति और सहयोग अति आवश्यक है। परन्तु विगत के कुछ दशकों में इंसानों ने अपनी सहूलियत और विकास के नाम पर अपने अतिरिक्त सभी पर करारा प्रहार किया है। जिसका खामियाज़ा अब तेजी से सभी को उठाना पड़ रहा है। प्राकृतिक असंतुलन से जन जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। कही बाढ़ कही सूखा कही गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ कर जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं ने भी जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जंगलों का खत्म होना, नए पेड़ पौधों का आगमन न होना प्राकृतिक असंतुलन का एक बड़ा कारण है जिसका दुष्प्रभाव अब न केवल दिख रहा है बल्कि सभी की समझ में भी आना शुरू हो गया है। यदि आप विगत के पांच दशक पूर्व को देखेंगे तो आप पायेंगे की जंगलों में और पेड़ पौधों में काफी कमी आई है। अब समय आ गया है की विकास के नाम पर हम सभी को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना पूर्ण रूप से बंद करना होगा तथा आवश्यकता अनुरूप प्रकृति से जुड़ कर उसका विकास भी लगातार करना होगा। इस तथ्य की न केवल व्यापक समझ और जानकारी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को है बल्कि अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से ही पर्यावरण को लेकर विशेष कार्य कर रहे हैं। प्रकृति से जुड़े रहना उन्हें बेहद पसंद है। हाल ही में उन्होंने पुनः बड़े कार्य करके सभी का ध्यान पर्यावरण के प्रति आकर्षित कराया है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में 20 जुलाई 2024 को महापर्व के रूप में 'पेड़ लगाओ–पेड़ बचाओ जन अभियान– 2024' मनाया गया। अकेले एक दिन में 36.50 करोड़ नए पौधे लगाये गए जिसका सीधा उद्देश्य धरती पर हरियाली बनाए रखना है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य 35 करोड़ पौधे लगाने का था जिसे उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ज़मीनी और भविष्य की आवश्यकता को देखकर पौधे लगाने की संख्या में वृद्धि कर के 36.50 करोड़ कर के अमली जामा भी पहना दिया है। उनके निर्देशन पर वन–पर्यावरण विभाग ने 14.29 करोड़ तो ग्राम्य विकास विभाग ने सूबे में 13 करोड़ पौधे लगाये। 36.50 करोड़ पौधे लगाने के लिए विभागों और मंडलों ने अपना सम्पूर्ण सहयोग प्रदान किया। सभी 18 मंडल ने योगी सरकार के प्रयास में शामिल हुए। प्रदेश के हरित क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 2026–27 तक 15 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है। भूमि का चयन करके पौधरोपण किया गया। योगी सरकार ने अफसरों को पहले से ही निर्देश दे रखा था कि पौधरोपण हर जगह हो, जिससे पूरे प्रदेश में हरियाली लहलहाए। वन भूमि, ग्राम पंचायत व सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेसवे व नहरों के आसपास, विकास प्राधिकरण औद्योगिक परिसर भूमि, रक्षा–रेलवे की भूमि, चिकित्सा संस्थान–शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों का सहयोग लेते हुए उनकी निजी भूमि, नागरिकों की ओर से निजी परिसर में पौधरोपण करके प्रदेश को हरा–भरा रखने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुखियां के आव्हान पर प्रदेश के सभी विभागों ने पेड़ लगाने में अपना योगदान दिया जिसमे वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन ने 14.29 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग ने 13 करोड़, कृषि ने 2.80 करोड़, उद्यान

विभाग ने 1.55 करोड़, पंचायती राज ने 1.27 करोड़, राजस्व ने 1.05 करोड़, नगर विकास ने 44.97 लाख, उच्च शिक्षा ने 22.54 लाख, रेशम ने 14.19 लाख, लोक निर्माण ने 14.93 लाख, रेलवे ने 12.66 लाख व जलशक्ति ने 13.41 लाख, बेसिक शिक्षा ने 15.43 लाख, स्वास्थ्य विभाग ने 19.91 लाख, उद्योग (एमएसएमई) ने 15.55 लाख, औद्योगिक विकास विभाग ने 7.73 लाख, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 11.63 लाख, गृह ने 10 लाख, पशुपालन ने 7.26 लाख, ऊर्जा ने 5.60 लाख, सहकारिता ने 7.60 लाख, आवास विकास ने 8.38 लाख, रक्षा ने 4.95 लाख, प्राविधिक शिक्षा ने 8.06 लाख, श्रम ने 2.69 लाख, परिवहन विभाग ने 2.53 लाख से अधिक पौध रोपण किया। सरकारी तंत्र के आलावा प्रदेश के निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत रूप से लाखों लोगों ने पेड़ लगाने के इस महा अभियान में योगदान दिया है। लखनऊ मंडल में चार करोड़ एक लाख 73 हजार से अधिक पौधे लगाए गए।

प्रदेश के हरित क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 2026–27 तक 15 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है। भूमि का चयन करके पौधरोपण किया गया। योगी सरकार ने अफसरों को पहले से ही निर्देश दे रखा था कि पौधरोपण हर जगह हो, जिससे पूरे प्रदेश में हरियाली लहलहाए। वन भूमि, ग्राम पंचायत व सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेसवे व नहरों के आसपास, विकास प्राधिकरण औद्योगिक परिसर भूमि, रक्षा–रेलवे की भूमि, चिकित्सा संस्थान–शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों का सहयोग लेते हुए उनकी निजी भूमि, नागरिकों की ओर से निजी परिसर में पौधरोपण करके प्रदेश को हरा–भरा रखने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया गया।

कानपुर मंडल में 2.96 करोड़, चित्रकूट में 2.89 करोड़, झांसी में 2.82 करोड़, मीरजापुर में 2.62 करोड़, अयोध्या में 2.39 करोड़, देवीपाटन में 2.14 करोड़, प्रयागराज में 2.07 करोड़, बरेली में 1.91 करोड़, वाराणसी में 1.76 करोड़, मुरादाबाद में 1.83 करोड़, आगरा में 1.68 करोड़, गोरखपुर में 1.65 करोड़, आजमगढ़ में 1.30 करोड़, अलीगढ़ में 1.22 करोड़, मेरठ मंडल में 1.16 करोड़, बस्ती में 1.11 करोड़ व सहारनपुर मंडल में 90.23 लाख पौधे लगें। पौधरोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सभी कोनों तक हरयाली लाना है जिससे आम आदमी के जीवन में प्रकृति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहें। विभिन्न तरह की पर्यावरण सम्बन्धी आपदाओं से आम जीवन को संरक्षित करना भी इस तरह के महा अभियान का उद्देश्य रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विगत 07 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में 168 करोड़ वृक्षारोपण का

नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी रही की इनमें लगाए गए पेड़ में से 75 से 80 प्रतिशत पेड़ आज भी सुरक्षित है और अच्छे पर्यावरण में अपना सहयोग दे रहें है। मुख्यमंत्री के एक ही आह्वान पर 'एक पेड़ माँ के नाम' के आधार पर 'पेड़ लगाओ–पर्यावरण बचाओ' महा अभियान में प्रदेश भर के लोग जुड़े रहें। प्रदेश में फलदार, इमारती, छायादार, औषधि या सजावटी आदि 54 करोड़ पौधे, वन विभाग, उद्यान विभाग की नर्सरी में विद्यमान हैं। इसमें लगभग 37 से 38 करोड़ पौधों का उपयोग एक दिन यानी कि 20 जुलाई 2024 को हुआ है शेष पौधों को क्रमिक रूप में उपयोग किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के एक ही आह्वान पर 'एक पेड़ माँ के नाम' के आधार पर 'पेड़ लगाओ–पर्यावरण बचाओ' महा अभियान में प्रदेश भर के लोग जुड़े रहें। प्रदेश में फलदार, इमारती, छायादार, औषधि या सजावटी आदि 54 करोड़ पौधे, वन विभाग, उद्यान विभाग की नर्सरी में विद्यमान हैं। इसमें लगभग 37 से 38 करोड़ पौधों का उपयोग एक दिन यानी कि 20 जुलाई 2024 को हुआ है शेष पौधों को क्रमिक रूप में उपयोग किया जा रहा है।

बड़े मंच और व्यक्तित्व द्वारा सामाजिक और जनहित के लिए किया गया स्वयं का कार्य और आम जनता को शामिल होने का आह्वान निसंदेह उद्देश्यों की पूर्ति करता है और यह ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक भी रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखियां का पर्यावरण के प्रति संजीदा होना और आम लोगों को प्रदेश में चारों तरफ हरयाली लाने की प्रतिबद्धता ने सभी का न केवल ध्यान आकर्षित किया है बल्कि भारी संख्या में लोग, संगठन, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र ने उत्साहित होकर इस महा अभियान में अपना योगदान किया है। पेड़ों की आवश्यकता अत्यधिक है जितना अधिक पेड़ होंगे उतना ही अधिक मानव का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनकी उम्र की लम्बी अपेक्षा की जा सकती है क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में जहाँ तकनीक एक व्यक्ति के जीवन के हर पहलूँ में समाती जा रही है तो वहीं प्रकृति से दूर भी करती चली जा रही है जिसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे है। पेड़ पौधों की आवश्यकता सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए भी बेहद जरुरी है तभी तो मुख्यमंत्री ने अपने सात वर्षों के कार्यकाल में 168 करोड़ वृक्षों को धरती की गोद में रोपित कर मानव जीवन को एक अमूल्य सौगात देने का कार्य किया है। ◆

मो. : 8090005531

हमारी परम्परा है गो-संरक्षण

—ए.के. अस्थाना

गाय का सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों को शान्त करने के लिए गाय की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। कुंडली में मंगल अशुभ है तो लाल रंग की गाय की सेवा से शुभ फल प्राप्त होता है।

हिंदू धर्म में गाय के गोबर को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है यही कारण है कि किसी भी पूजा कार्य में जमीन को लीप कर शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार बुध की शुभता को पाने के लिए गाय को हरा चारा डालने से लाभ मिलता है। शनि से बुध दोष को शांत करने के लिए काले रंग की गाय की सेवा और दान अत्यंत फलदायी होता है। सनातन परंपरा में तमाम तरह के दान को महादान बताया गया है। इसमें गोदान का ज्यादा महत्व है। गरूड़ पुराण में वैतरणी को पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है।

हिंदू धर्म में गाय के गोबर को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है यही कारण है कि किसी भी पूजा कार्य में जमीन को लीप कर शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है।

गाय हमारी संस्कृति का आधार है। प्राचीन काल से हम गाय की पूजा करते आये हैं, गाय हमारी पूजनीया है। गऊ दान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में गाय के दूध से लेकर गोबर तक उपयोगी माना जाता है। कहते हैं, गाय में देवताओं का वास होता है हमारी संस्कृति में गाय को प्रथम अन्न देने के लिए कहा है, घर की रसोई की पहली रोटी गाय की मानी जाती है।

गाय का दूध औषधीय गुणों से परिपूर्ण माना जाता है। पूजा—अर्चना करने में गाय के दूध से ही प्रभु के अभिषेक करने का प्रावधान होता है। प्रदेश सरकार द्वारा गो—संरक्षण एवं गो संवर्द्धन कानून बनाए जाने से गो वंश की रक्षा हो रही है। जिससे गाय का पूरा सम्मान हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से गो संरक्षण ग्रामीण रोज़गार का बड़ा ज़रिया बना है जिससे इस योजना के अनुसार गो संरक्षण केन्द्र व आश्रय स्थलों की देख भाल के साथ ही गांव के स्वास्थ्य टीकाकरण और स्वच्छता में स्थानीय लोगों को सहभागी बनाया गया है।

अभी हाल में प्रदेश सरकार ने निराश्रित गोवंश संरक्षण के 35 गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु 28 करोड़ 04

लाख 20 हजार रूपए की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है।

स्वीकृत धनराशि से झांसी जनपद के मलेहटा (रमौरा), पठगुवाँ, धवारी, गूढा (गौती), जौनपुर जनपद के सोनिकपुर, ललितपुर जनपद के खिरिया मिश्र, कुंचदो, बांदा जनपद के खपटिकाकलां, अमरोहा जनपद के मऊगयचक, रहमापुर माफी, चन्दनपुर कोटा, महोबा जनपद के बछेछर खुर्द, सौरा, खरेला देहात, खन्ना, पचपहरा, आजमगढ़ जनपद के बराही अशरफपुर, रामपुर, चरहा, श्रावस्ती जनपद के सेमगढ़ा, लखीमपुर खीरी जनपद के गोंधिया, कासगंज जनपद के मुनव्वरपुर गडिया, आगरा जनपद के स्वारा, मदनपुर, खेड़ा राठौर, धनौला कला, अछनेरा, मुर्थ अलीपुर, सुल्तानपुर जनपद के गोरेगाँव प्रथम, गोरेगाँव द्वितीय, सोनभद्र जनपद के रजखड़, मुरादाबाद जनपद के फाजिलपुर, फिरोजाबाद जनपद के साथी तथा एटा जनपद के किनौडी खैराबाद में गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक केन्द्र हेतु 80.12 लाख रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

गौहत्या पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर गाय, बैल या सांड का वध करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को गौ आश्रय स्थलों के संचालन में स्थानीय जनता को सहभागी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि गौ आश्रय स्थलों को दी जाने वाली धनराशि को समय से उपलब्ध करवा दी जाय। उसके साथ ही पशुओं की नस्ल सुधारने की दिशा में भी कार्य हो रहा है।

गो-संरक्षण पर योगी सरकार के प्रमुख कार्य-

- 98.34 लाख से अधिक गोवंश की टैगिंग
- गौसंरक्षण के लिए गोवध निवारण (संशोधन) कानून बनाया
- 5,150 गो संरक्षण केंद्रों में 5.26 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित
- गौ पालन पर पशुपालकों को धन देना वाला प्रथम राज्य

योगी सरकार की तरफ से निराश्रित गोवंश संरक्षण की दिशा में सतत् प्रयासों के संतोषप्रद परिणाम मिल रहे हैं. वर्तमान में 6889 निराश्रित गोवंश स्थलों में 11.89 लाख गोवंश संरक्षित हैं इनके साथ–साथ गोवंश संरक्षण के लिए संचालित मुख्यमंत्री सहभगिता योजना के भी अच्छे परिणाम

मिले हैं. अब तक 1.85 लाख से अधिक गोवंश इस योजना के तहत गो–सेवकों के सुपुर्द किए गए हैं, निराश्रित गोवंश स्थलों तथा गोवंश की सेवा कर रहे, सभी परिवारों को गोवंश के भरण–पोषण के लिए वर्तमान में 30 रुपये प्रति गोवंश की दर से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गोवंश की गई। योगी सरकार और गौशाला खोलने जा रही है, जिससे छुट्टा जानवर शहर–शहर अभियान चलाकर सड़कों पर घूम रही गायों को गो आश्रय स्थल पर पहुंचाया जा सके।

लखनऊ के विकासखण्ड बक्शी का तालाब की ग्राम पंचायत बाजपुर गंगौरा में नवनिर्मित वृहद गो संरक्षण केंद्र का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। एक गाय के संरक्षण के लिए पशुपालकों को 50 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा वहीं गो संरक्षण केन्द्र में गायों के चारे से लेकर सभी प्रकार के खर्चे उसे खुद उठाने होंगे। जांच के बाद गौवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत पात्रों को आवंटित कर दिए जाएंगे।

नियम और शर्तें

- यह कि वृहद गो संरक्षण केन्द्र बाजपुर गंगौरा में लगभग 500 निराश्रित/बेसहारा गो वंशों का भरण–पोषण एवं संचालन का उत्तरदायित्व शत–प्रतिशत सुनिश्चत करना होगा।
- चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने संसाधनों, जन सहयोग से गो सेवकों तथा गो वंश के भरण–पोषण की पूर्ण व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय का वहन सुनिश्चित करना होगा।
- वृहद गोसंरक्षण केंद्र में रखे गये गो वंशों से गौमूत्र औषधि आदि समस्त प्रकार के उत्पाद तैयार कराये जा रहे हैं।
- आश्रय स्थल में रखे गये गोवंशों द्वारा उत्पादित अनुपयुक्त अवशेष गोबर कम्पोस्ट द्वारा जैविक कृषि/बागवानी को बढ़ावा देने में लाभ प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करना।
- आश्रय स्थल में पंचगव्य पदार्थों आदि का निर्माण कर बायोगैस प्लांट आदि स्थापित कर अतिरिक्त आय सृजित करना।

मो. : 8934884441

सेमीकंडक्टर चिप का हब बनने की राह पर भारत

—सुरेश कुमार मिश्रा

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें से दो प्लांट गुजरात के साणंद और धोलेरा में खोले जाएंगे। वहीं एक प्लांट असम के मोरीगांव में खोला जाएगा। दरअसल सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नहीं बनाया जा सकता। एलईडी बल्ब से लेकर मिसाइल तथा कार से लेकर मोबाइल और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल आज के दौर में, सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की राह पर है। भारत में भी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बढ़ती खपत के साथ, सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत अभी तक दूसरे देशों पर सेमीकंडक्टर चिप के लिए निर्भर था। इन प्लांटों के लगने से भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा भी मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर चिप की जिन तीन बड़ी यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है, उम्मीद है कि वो वर्ष 2025 और 26 से काम करना शुरू कर देंगी और इसके बाद भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा। असम की यूनिट में हर दिन चार करोड़ 80 लाख सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होगा। वहीं गुजरात की धोलेरा यूनिट में हर दिन डेढ़ करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे। इस तरह कुछ ही वर्षों में भारत में हर दिन 10 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण होने लगेगा और हर साल 3650 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनने लगेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।

भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 76 हजार करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का नाम है, 'भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम'। इसी योजना के तहत ये तीनों प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। धोलेरा का पहला फैब्रिकेशन प्लांट, जिसमें टाटा ग्रुप की भागीदारी है,

91 हजार करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा। टाटा ग्रुप की एक कंपनी 'टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पॉवर लिमिटेड' (टीईपीएल) और ताइवान की एक लीडिंग कंपनी 'पॉवर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन' (पीएसएमसी), ये दोनों कंपनियां मिलकर धोलेरा में इस फैब्रिकेशन प्लांट को स्थापित करेंगी। यहां पर 28 नैनोमीटर के चिप्स का उत्पादन किया जाएगा। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले इत्यादि में होगा। दूसरा प्लांट असम के मोरीगांव में स्थापित होगा, जिसमें 27 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट को भी टाटा ग्रुप ही बना रहा है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी, जिसका नाम 'टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड' यानी टीसैट है, इस प्लांट को लगा रही है। इस प्लांट में चिप को असेंबल करने और टेस्ट करने का काम किया जाएगा। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता करीब 48 मिलियन प्रतिदिन होगी। आने वाले चार–पांच सालों में इसकी कुल उत्पादन क्षमता 300 करोड़ चिप होगी। असम के मोरीगांव वाला यह प्लांट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और निर्यात पर केंद्रित (फोकस्ड) होगा। तीसरा प्लांट जो गुजरात के साणंद में बनने जा रहा है, उसे मुंबई की 'सीजी पॉवर कंपनी', जापान की श्रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कंपनीश और थाईलैंड के 'स्टाटर्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स' के साथ मिलकर चिप पैकेजिंग फैसिलिटी प्लांट के रूप में स्थापित करेगी। यह प्लांट रक्षा और अंतरिक्ष (डिफेंस एंड स्पेस) के क्षेत्र पर केंद्रित होगा और इसरो इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा। इस प्रकार भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। दरअसल भारत अब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाकर सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। अभी दुनिया भर में हर साल अलग–अलग श्रेणी की लगभग 90 हज़ार करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होता है और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाले पांच देशों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एक छोटे देश ताइवान की है। दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले टॉप 5 देशों में ताइवान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका शामिल हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में लगभग 60 फीसदी हिस्सेदारी ताइवान की है। 15 से 20 फीसदी हिस्सेदारी दक्षिण कोरिया की, 10 से 13 फीसदी जापान की, 10 से 12 फीसदी अमेरिका और 5 से 10 फीसदी हिस्सेदारी चीन की है। भारत में अभी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण नहीं होता है। भारत हर साल अरबों रुपये सेमीकंडक्टर चिप के आयात पर खर्च करता है। जिस प्रकार आधुनिक युग आने पर तेल इंसान की जरूरत बना, उसके बाद डिजिटल युग में डेटा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। इसी प्रकार अब सेमीकंडक्टर चिप्स का युग शुरू हो गया है। आज के समय में हमारे घरों में उपयोग होने वाले छोटे–मोटे उपकरणों, लैपटॉप, स्मार्टफोन और वाहनों से लेकर अंतरिक्ष में इस्तेमाल हो रहे सभी उपकरणों तक सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल हो रहा है। वर्तमान समय में इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि अगर चिप उपलब्ध न हो तो शायद दुनिया का विकास ही रुक जाएगा। इसीलिए आधुनिक युग में सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल या न्यू गोल्ड कहा जाता है।

वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की राह पर है। भारत में भी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बढ़ती खपत के साथ, सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत अभी तक दूसरे देशों पर सेमीकंडक्टर चिप के लिए निर्भर था। इन प्लांटों के लगने से भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा भी मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर चिप की जिन तीन बड़ी यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है, उम्मीद है कि वो वर्ष 2025 और 26 से काम करना शुरू कर देंगी और इसके बाद भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा।

दरअसल जब सिलिकॉन के वेफर पर हज़ारों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं तो एक चिप बनकर तैयार होती है। चिप का निर्माण बहुत अधिक तकनीकी कौशल वाला काम है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही

महंगी है। चिप बनाने की पूरी लागत का लगभग 25 फीसदी हिस्सा इसके अनुसंधान और विकास में ही खर्च हो जाता है। ताइवान की कंपनी, जो इस समय 90 प्रतिशत एडवांस्ड चिप्स का उत्पादन और विनिर्माण करती है, ये एक लीडिंग कंपनी है। पूरी दुनिया में चिप्स के मामले में ताइवान सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ताइवान की इस लीडिंग कंपनी में तीन नैनोमीटर, पांच नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर के चिप्स का उत्पादन किया जाता है। भारत में अभी 28 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर और 55 नैनोमीटर के चिप्स का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार भारत में बनने वाले चिप्स और ताइवान में बनने वाले चिप्स के बीच एक बड़ा अंतर है, क्योंकि जितने कम नैनोमीटर का चिप होगा, वह उतना ही हाईटेक और स्मार्ट होगा। भारत अभी इस क्षेत्र में नया खिलाड़ी है, इसलिए वो 28 नैनोमीटर के चिप के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। भविष्य के तकनीकी विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के घटकों की सप्लाई और निर्माण सुनिश्चित करना हर देश के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि किसी भी देश के विकास का रास्ता यहीं से होकर गुज़रता है। अगर कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया या उसके घटकों की सप्लाई और निर्माण को सुनिश्चित नहीं कर पाया तो उसका आगे के तकनीकी विकास का रास्ता भी रुक जाएगा। भारत में चिप की मांग पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है और भविष्य में इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। भारत अभी सेमीकंडक्टर चिप का आयात करता है, किंतु वर्तमान समय में जिस प्रकार की भू–राजनीतिक स्थितियां हैं, उन्हें देखकर इस बात का भरोसा नहीं किया जा सकता कि सेमीकंडक्टर चिप की ग्लोबल सप्लाई इसी प्रकार होती रहेगी। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के बीच संघर्ष की स्थितियां चल रही हैं, ऐसे में सेमीकंडक्टर चिप की ग्लोबल सप्लाई चेन कभी भी बाधित हो सकती है। इसलिए इन भू–राजनीतिक स्थितियों में भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। भारत सेमीकंडक्टर चिप की इस नई क्रांति में एक अहम भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि अब वही देश आगे जाएगा, जिसके पास यह तकनीक होगी। इसीलिए भारत इस तकनीक के विकास पर पूरा जोर लगा रहा है, क्योंकि भारत अब दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहता।

साल 2021 में कोविड महामारी के दौरान, सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति में कमी एक गंभीर समस्या बन गई थी। कोविड महामारी के दौरान सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में बाधा ने दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सामने संकट पैदा कर दिया था। कारों, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि के उत्पादन में कमी आई, जिसके कारण इनकी कीमतें बढ़ गईं और लोगों को इनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। चिप की कमी के कई कारण थे। दरअसल कोविड–19 के कारण लॉकडाउन ने चीन और अन्य देशों में सेमीकंडक्टर कारखानों को बंद कर दिया, जिसके कारण आपूर्ति में कमी आई। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कारों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग ने चिप की मांग को बढ़ा दिया। सेमीकंडक्टर चिप बनाने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि करना मुश्किल था। चीन और ताइवान के बीच तनाव ने भी चिप की कमी में

योगदान दिया। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता है, और चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। अमेरिका ताइवान की सुरक्षा का समर्थन करता है और चीन के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध हैं। चीन और अमेरिका दोनों देश सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ताइवान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण करने की भी संभावना बनी रहती है। कोविड के बाद भी चिप का संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अमेरिका और चीन के खराब रिश्तों के कारण यह संकट अभी भी बना हुआ है। हालांकि पहले जैसी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। कोविड के दौरान चिप की कमी ने दुनिया भर के देशों को यह एहसास दिलाया कि वे चिप के मामले में ताइवान पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यदि ताइवान से चिप की आपूर्ति रुक जाती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। दूसरी ओर चीन 2049 तक अपनी विश्व स्तरीय सेना तैयार करना चाहता है और भविष्य में एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी बड़ी योजनाओं पर काम करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए चीन पिछले कई दशकों की अपेक्षा सेमीकंडक्टर चिप्स का अधिक आयात कर रहा है। अमेरिका को इस बात की चिंता है कि कहीं चीन सेमीकंडक्टर चिप के जरिए अपनी सेना को इतना ऑटोमेटेड और एआई बेस्ड न बना दे कि वो अमेरिका के साथ–साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाए। इन चिंताओं के चलते अमेरिका ने जापान और नीदरलैंड द्वारा चीन को हाईटेक मशीनरी भेजने में रुकावट पैदा करवा दी है। नीदरलैंड की एक बड़ी कंपनी 'एएसएमएल' ईयूवी लाइट टूल बनाती है, जिसके बिना एडवांस्ड चिप बनाना संभव नहीं है। पूरी दुनिया में केवल नीदरलैंड के पास ही यह तकनीक है। अमेरिका ने नीदरलैंड पर दबाव डाला कि वो चीन को इसका निर्यात करना रोक दे। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी हाई क्वालिटी चिप बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने एडवांस चिप मेकिंग सॉफ्टवेयर्स की सप्लाई भी चीन के लिए बैन कर दी है। हालांकि चीन के पास जरमैनियम और गैलियम धातुओं का बड़ी संख्या में उत्पादन है जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए जरूरी मेटल हैं। वैश्विक बाज़ार का 60 फीसदी जरमैनियम और 80 फीसदी गैलियम चीन के पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य देशों के पास इनका अभाव हो। दुनिया के कुछ अन्य देशों के पास भी इन धातुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसलिए चीन इन्हें लेकर दुनिया पर दबाव नहीं बना सकता। इस समय पूरी दुनिया में 90 प्रतिशत से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण ताइवान में होता है। ताइवान के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की उच्चतम तकनीक उपलब्ध है, जिससे वो तीन नैनोमीटर तक की हाई–टेक सुपरकंडक्टर चिप्स बना रहा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो अभी दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं है। दरअसल हाई–टेक सुपरकंडक्टर चिप्स ऐसी कंप्यूटर चिप्स हैं, जो पारंपरिक चिप्स की तुलना में बहुत तेज और अधिक कुशल होने की क्षमता रखती हैं। ये सुपरकंडक्टिंग सामग्री का उपयोग करके बनाई जाती हैं। दुनिया भर में चिप की कमी के कारण इलेक्ट्रॉनिक

उपकरणों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत सहित अन्य देशों को सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। चिप युद्ध 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक घटनाओं में से एक है।

अमेरिका ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश शुरू कर दिया है। अमेरिका ने साल 2022 में अपने यहां 'चिप्स एंड साइंस एक्ट' पास कराया और 280 बिलियन डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दी। दरअसल 90 के दशक तक चिप निर्माण में अमेरिका का निर्विवाद नेतृत्व था। लेकिन धीरे–धीरे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू कर दिया। इन देशों ने कम श्रम लागत और सरकारी समर्थन के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी। इस बदली हुई परिस्थिति में अमेरिका ने चिप निर्माण की रणनीति में बदलाव किया। अमेरिका ने चिप डिजाइनिंग और निर्माण को अलग–अलग जगहों पर करवाने का फैसला किया। अमेरिका ने चिप डिजाइनिंग को अपने देश में ही रखने का फैसला किया, जहां तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन चिप निर्माण (फैब्रिकेशन) के लिए अमेरिका ने उन देशों को चुना, जहां श्रम लागत कम थी। ताइवान और दक्षिण कोरिया इस मामले में सबसे उपयुक्त थे। इस रणनीति के परिणामस्वरूप, अमेरिका चिप डिजाइनिंग में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा। साथ ही ताइवान और दक्षिण कोरिया में फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने से अमेरिका को कम लागत पर चिप का उत्पादन करने में मदद मिली। यह रणनीति आज भी जारी है और अमेरिका चिप निर्माण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। लेकिन चिप निर्माण में भविष्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चीन जैसे देश सेमीकंडक्टर उद्योग में तेज़ी से निवेश कर रहे हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर चिप निर्माण दो भागों में विभाजित है, डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन। डिजाइनिंग में चिप के सर्किट, ट्रांजिस्टर, और अन्य घटकों का आरेखण शामिल होता है। यह एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता होती है। भारत सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइनिंग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और कई भारतीय कंपनियां दुनिया भर के ग्राहकों के लिए चिप डिजाइन करती हैं। फैब्रिकेशन में डिजाइन को वास्तविक चिप में बदलना शामिल होता है। यह एक अत्यधिक तकनीकी और महंगी प्रक्रिया है, जिसमें उच्च–सटीक उपकरण और स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) दुनिया की सबसे बड़ी फैब्रिकेशन कंपनी है। 1987 में स्थापित, टीएसएमसी ने अमेरिका और अन्य चिप डिजाइनरों को चिप निर्माण सेवाएं प्रदान करके अपना नाम बनाया है। आज वैश्विक बाज़ार में 55 फीसदी हिस्सेदारी के साथ टीएसएमसी बाज़ार में अग्रणी है। यह 90 प्रतिशत एडवांस प्रोसेसिंग चिप का भी उत्पादन करता है, जो इसे सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है।

अभी सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण एक महंगी व जटिल प्रक्रिया है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में अनुभवी कर्मियों की कमी है। सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के तहत, भारत को चीन, ताइवान, और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो पहले से ही इस क्षेत्र में आगे हैं। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन योजना (इंसेंटिव स्कीम) अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तुलना में कम है। दरअसल साल 2021 में भारत सरकार ने 76 हजार करोड़

रुपए की चिप इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी, जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तुलना में बहुत कम है। भारत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तुलना में चिप निर्माण में बहुत कम निवेश कर रहा है, क्योंकि भारत की क्षमता अभी बहुत अधिक निवेश करने की नहीं है। इसीलिए भारत अभी 28 नैनोमीटर की चिप के उत्पादन से शुरुआत कर रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पहले से ही अधिक उन्नत चिप्स का उत्पादन कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में दुनिया की लीडर व बड़ी कंपनियां टीएसएमसी और इंटेल इत्यादि अभी भारत आने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइन के मामले में तो भारत दुनिया का महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन अभी यहां फैब्रिकेशन प्लांट के लिए आवश्यक कौशल और प्रतिभा पूल की कमी है। भारत के लिए एक चुनौती यह भी है कि पूरे चिप उद्योग की लागत का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 20 से 25 प्रतिशत) इसके अनुसंधान और विकास (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) पर खर्च हो जाता है। इसके रिसर्च, प्लांट्स और इसमें लगने वाले घटक (कॉम्पोनेंट्स) सभी बहुत ज्यादा महंगे हैं। सेमीकंडक्टर चिप के फैब्रिकेशन और पैकेजिंग के लिए तथा इसके असेंबल और टेस्ट के लिए अलग–अलग प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता होती है। सेमीकंडक्टर चिप के अनुसंधान और विकास में अभी भारत की स्थिति अधिक मजबूत नहीं है।

हालांकि भारत सरकार देश में इस तकनीक को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार युवाओं को सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर रही है। सेमीकंडक्टर तकनीक में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार निवेश कर रही है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उद्योग की बढ़ती रुचि

के साथ, भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर चिप्स का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में मदद करेगा। इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास से देश में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। यह उद्योग लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करेगा और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह भारत की प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्यात में एक प्रमुख देश बना देगा। देश में ही चिप निर्माण होने से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी। भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करने के लिए योग्य हैं। भारत में कई विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान हैं, जो सेमीकंडक्टर तकनीक में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। भारत अगर सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और इतना उत्पादन कर ले कि इसका निर्यातक बन जाए तो बहुत से देश चीन को छोड़कर भारत से सेमीकंडक्टर चिप का आयात करने लगेंगे। इस प्रकार भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को लचीला बना सकता है। ◆

मो. : 9415477972

टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि को सशक्त बनाने का पूरा होता संकल्प

–अंजु अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर तथा अन्नदाताओं की आमदनी की प्रचुर संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से संकल्प से कृषि को सशक्त बनाने की सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में स्वप्नदर्शी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कृषि का पावर हाउस है। उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत तक कृषि योग्य भूमि है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ताकत है। कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, फार्म तथा फार्मर रजिस्ट्रेशन तथा वेदर गेज स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में टेक्नोलॉजी के उपयोग किया जायेगा। आज के युग में टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार बेहद महत्वपूर्ण हैं और कृषि क्षेत्र भी इस बदलाव से अछूता नहीं हैं। किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इससे किसानों को न केवल बेहतर उत्पादन मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तुर्की के पर्वतीय क्षेत्रों में अंगूर, टमाटर जैसी उन्नत किस्म की फसलों की अधिक पैदावार हो रही है। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी इस प्रकार की औद्यानिक फसलों की अधिक पैदावार की संभावनाएं को प्रोत्साहन मिल सके इसके लिए कार्य किया जा रहा है।उत्तर प्रदेश में कृषि अवसंरचना के विकास और फसलोपरांत हानियों को कम करने के लिए अगस्त 2020 में प्रारंभ की गई कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज

> **स्वप्नदर्शी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कृषि का पावर हाउस है। उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत तक कृषि योग्य भूमि है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ताकत है। कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।**

उपादान और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आवश्यक अवस्थापना का विकास करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत 550.00 लाख रुपये (पांच करोड़ पचास लाख रुपये) की राशि के रूप में अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज उपादान किसानों को प्रदान किया जा चुका है। कृषि अवस्थापना निधि योजना के तहत स्थापित प्रोजेक्ट्स की जियो–टैगिंग में उत्तर प्रदेश देश भर में दूसरे स्थान पर है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने और उन्हें बेहतर तरीके से पैकेजिंग कर निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस कदम से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि किसानों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी। फल, फूल, मसाला और सब्ज़ियों की खेती को किसानों की आय में वृद्धि के प्रमुख साधनों के रूप में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ज रहे है इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसान नई कृषि पद्धतियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें अपने खेतों में लागू कर सकेंगे।

किसानों की आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में नवाचार, और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव और उससे निपटने के उपायों पर भी विचार–विमर्श किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के लक्ष्य सीड रिप्लेसमेंट उपज बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उच्च प्रजाति के हाइब्रिड बीज को विभिन्न फसलों जैसे धान मक्का, दलहन, तिलहन, श्रीअन्न आदि के प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने के लिए नेशनल सीड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत किया। प्रदेश में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है इसके साथ ही 85 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल सिंचित है इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों के लिए कृषि बीजों को प्रोसेस करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अच्छी प्रजातियों के अनुसंधान के लिए भी उनके द्वारा देश की सभी महत्वपूर्ण कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया गया। प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, लखीमपुर एवं बांदा में सीड प्रोसेसिंग के पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अच्छी मूंगफली की खेती होती है। ICRISAt के सहयोग से मूंगफली के उच्च प्रजाति के बीज से उत्तर प्रदेश में मूंगफली की खेती को बढ़ाया जाएगा। साथ ही AICRISAt का एक उप केन्द्र उ.प्र. में संचालित करने का भी अनुरोध किया।

उ०प्र0 सरकार इसके लिए ICRISAt भूमि उपलब्ध कराएगी। बाजरा, ज्वार, सावाँ, कोदों और मडुवा के उच्च गुणवत्ता के बीज ICRISAt से उत्तर प्रदेश को मिले जिससे मिलेट्स की खेती को और बढ़ाया जा सके। धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मौसम प्रतिरोधी, जल जमाव तथा कम पानी में होने वाली वेराइटी को विकसित किये जाने इसके अतिरिक्त कुपोषण के समाधान की दृष्टि से जिंक, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से युक्त (फोर्टिफाइड) बीज की वेराइटी निकालने और उत्तर प्रदेश में अपनी नालेज और टेक्नोलॉजी के प्रसार के दृष्टि से परस्पर सहयोग करने के लिए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, राजेंद्रनगर में वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान वैश्विक श्री अन्न उत्कृष्टता केन्द्र के साथ उसके प्रसंस्करण इकाई, स्टार्टअप केन्द्र तथा इनक्यूबेशन सेन्टर में श्री अन्न के प्रसंस्करण, पैकेजिंग व्यवस्था और उत्पादों के निर्माण की जानकारी का एक उप केन्द्र उत्तर प्रदेश में खोलने तथा नालेज और टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में सहयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के साथ परस्पर सहयोग हेतु डवन करने पर सहमति बनी। आगामी खरीफ सीजन की उत्पादकता बढ़ाने और मोटे अनाजों के आच्छादन क्षेत्र को बढ़ाये जाने के लिए ज्वार, सांवा, कोदो, कंगनी, काकुन, और चीना के बीज अभी से बुक कर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जा सके इस पर चर्चा की गयी। उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी को देखते हुए मोटा अनाज एवं चावल का उत्पादन बढ़ाना कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ◆

मो. : 7607354095,

सबको न्याय
सुलभ न्याय

भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के अंतर्गत

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की सुविधा

- गवाह/साक्षीगण इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने जनपद के संयुक्त निदेशक, अभियोजन से संपर्क करें
- परीक्षण के दौरान किसी गवाह के साक्ष्य को निर्दिष्ट स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की सुविधा (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-254 एवं 265)
- इसके अनुपालन में अभियोजन विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही के लाभ

- गवाहों के समय एवं धन की बचत
- त्वरित न्याय दिलाने में मदद
- विशेष रुप से सेवानिवृत्त/कार्यरत सरकारी गवाहों की यात्रा के दौरान व्यक्तिगत असुविधाओं में कमी

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए शिशिर, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित।